



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2459]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2017/भाद्र 7, 1939

No. 2459]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2017/BHADRA 7, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

का. आ. 2806(अ).—केन्द्रीय सरकार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा (1) की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर उक्त उप-धारा (6) के अधीन मजदूरी के रूप में चौबीस हजार रुपये प्रति मास विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. एस-31018/3/2007-डब्ल्यू.ए.]

एन. के. सन्तोषी, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2017

S.O. 2806(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 1 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Central Government, on the basis of figures of the Consumer Expenditure Survey published by the National Sample Survey Organization, hereby specifies rupees twenty four thousand per month as the wages under said sub-section (6).

[F. No. S-31018/3/2007-WC]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General